

**GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
ORDER**

No. 18/637-16 PGT-I (5)

DATED, CHANDIGARH THE 29.05.2018

In accordance with the instructions contained in Haryana Government Finance Department Notification No. 1/83/2008/1 PR (FD), dated 31.12.2008 and letter dated 04-03-2014, Smt. Sushma Wadhwa, PGT Music, Govt. Sr. Sec. School, Ferozepur Jhirka (Mewat) is hereby granted 3rd ACP in the pay scale of Rs. 9300-34800+6000/-GP without benefit of increment w.e.f. 04.03.2014 after completion of 24 years regular satisfactory service.

**DHEERA KHANDELWAL
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT,
CHANDIGARH**


**OFFICE OF THE DIRECTOR, SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Endst. No. 18/637-16 PGT-I (5) Dated, Panchkula The 12-6-18

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Nuh his/her w.r.t. Memo No. E-8/2017/1730-31 dated 22.09.2017. The service book and personal file of the official are hereby returned herewith in original
3. Principal/Headmaster, Govt. Sr. Sec. School, Ferozepur Jhirka (Mewat).
4. Treasury Officer concerned.
5. Smt. Sushma Wadhwa, PGT Music, Govt. Sr. Sec. School, Ferozepur Jhirka (Mewat).
6. I.T. Cell (Local).

DA/As above.


**Dy. Superintendent PGT-I
For Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA
PANCHKULA**

Order No. 20/247-2018 PGT-II (7)

Dated Panchkula, the 08.06.2018

Smt. Kavita, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Teek, Kaithal is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **01.07.2018 to 28.09.2018 (90 days)** as per Finance Department instructions No. 11/102/ 2009-3FR dated 05.02.2010, dated 05.11.2012 and letter No.11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.


**LALIT SIWACH
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 11/6. 2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Kaithal w.r.t letter No. E-I/2018/3418 dated 01.06.2018.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Teek, Kaithal.
3. Smt. Kavita, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Teek, Kaithal.
- ✓ 4. I.T Cell, H.Q for uploading the orders on the website.


**SUPERINTENDENT PGT-II
for DIRECTOR, SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULAOFFICE**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

ORDER NO. 20/252-2018 PGT-II (6) DATED, PANCHKULA 12.06.2018

Smt. Manju Rani Nahar, PGT Hindi, Govt. High School, Bataur (Panchkula) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **09.07.2018 to 08.10.2018 (3 Months/ 92 Days)** as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, dated 05.11.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.


**LALIT SIWACH
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN.
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 12-6-2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, **Panchkula** w.r.t. his/her office memo. No. E-I/18/5912 dated 05.06.2018. You are advised to make alternative arrangement during CCL.
2. Headmaster, Govt. High School, Bataur (Panchkula). You are advised to make alternative arrangement during CCL.
3. Smt. Manju Rani Nahar, PGT Hindi, Govt. High School, Bataur (Panchkula).
- ✓ 4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.


**SUPERINTENDENT PGT-II
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

ORDER NO. 20/234-2018 PGT-II (7) DATED, PANCHKULA 06.06.2018

Smt. Ritma, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Jhajpul (Hisar)
is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **09.07.2018** to **08.01.2019**
(6 Months/ 184 Days) as per Finance Department instructions
No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, dated 05.11.2012 and letter
No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**RAJIV RATTAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 07-06-2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary
action:-

1. District Education Officer, **Hisar** w.r.t. his/her office memo.
No. E-VI-2018/1531 dated 17.05.2018.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Jhajpul (Hisar).
3. Smt. Ritma, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Jhajpul (Hisar).
- ✓ 4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

Jagan 7/6/2018
**SUPERINTENDENT PGT-II
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**
L

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा
पंचकूला।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
गुरुग्राम।

यादी क्रमांक:- 2/05-2018 HRG- II (4)
दिनांक पंचकूला 12.06.18

विषय:- सेवावृद्धि मामला 58 से 60 वर्ष (स्टैट आवर्डि) - श्री राज सिंह, मु0अ0, रा0उ0वि0,
जोड़ी (गुरुग्राम)।

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक ई-1-2018/193 दिनांक 22.05.2018 के सन्दर्भ
में।

श्री राज सिंह, मु0अ0, रा0उ0वि0, जोड़ी (गुरुग्राम) को 58 वर्ष से 60 (01.06.2018
से 31.05.2020) वर्ष तक राज्य शिक्षक पुरस्कार मिलने के कारण सेवावृद्धि प्रदान की जाती है।

Sd/-
अधीक्षक एच0आर0जी0-आ
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक पंचकूला 12.06.18


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित अधिकारी।
2. एच.आर.जी.-आ/2 को निजी मिसल में रखने हेतु।
3. आई0टी0 सैल (मुख्यालय)।

Ranbir Singh
अधीक्षक एच0आर0जी0-आ
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय
 e-mail edusecondary@hry.nic.in



आदेश क्रमांक KW5/76-2018 HRME(6)

दिनांक, पंचकुला 11-6-18

1. इसके द्वारा श्रीमती कमलेश, सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम-8 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित हैं।
2. इसके द्वारा श्रीमती कमलेश से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा श्रीमती कमलेश को आगे सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जो कि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामले के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्हीं दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हें यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्रीमती कमलेश ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी श्रीमती कमलेश को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

Rajiv Prasad
 (राजीव प्रसाद)

संयुक्त निदेशक प्रशासन
 का० निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।

सेवा में,

श्रीमती कमलेश, सहायक,
 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, पंचकुला:- 11-6-18

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम।
2. आई०टी० सैल।


[Signature]

अधीक्षक एच०आर०एम०ई०
 कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।

५५



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय
 e-mail: edusecondary@hry.nic.in



आरोप सूची विरुद्ध श्रीमती कमलेश, सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम।

श्रीमती कमलेश, सहायक ने वर्ष 2018 में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम में बतौर सहायक का कार्य करते हुए निम्नलिखित भूल चूक की है। जिसके लिए उन्हें निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है:-

1. यह है कि COCP No. 3242 of 2015 in CWP No. 4290 of 2014 Jai Kishan Khanduja Vs M.L. Kaushik & Others में श्री किशन चन्द सैनी को 38 महीनों की पेंशन के एरियर के दिये गए लाभ की रिकवरी करके, महालेखाकार हरियाणा, चण्डीगढ़ के कार्यालय से refix तथा पुनः निर्धारित करवाकर माननीय उच्च न्यायालय में सूचित किया जाना था। परन्तु आप द्वारा समय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिस कारण पूर्व निदेशक श्री एम0एल0 कौशिक (सेवानिवृत्त आई0ए0एस0) को निजि तौर पर कोर्ट में उपस्थित होना पडा, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है।

इस प्रकार श्रीमती कमलेश, सहायक ने उपरोक्त अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की उल्लंघना करते हुए हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली 2016 के नियम, 3 (1) (ii) तथा (iii) की उल्लंघना की है।


उपरोक्त अनियमितताएं करके श्रीमती कमलेश, सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम के गंभीर कदाचार को व्यक्त करती है। ऐसा करके उन्होंने हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 की धारा-8 के अन्तर्गत अपने आपको अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

Rajiv Prasad
 (राजीव प्रसाद)

संयुक्त निदेशक प्रशासन
 का0 निदेशक सकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय
 e-mail: edusecondary@hry.nic.in



आदेश क्रमांक KW5/76-2018 HRME(6)

दिनांक, पंचकुला 11-6-18

1. इसके द्वारा श्री बालकिशन, वर्ल्क, कार्यालय रा0व0मा0वि0 वी0के0 मानेसर, गुरुग्राम को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम-8 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
2. इसके द्वारा श्री बालकिशन, से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा श्री बालकिशन, को आगे सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामले के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हें यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री बालकिशन, ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी श्री बालकिशन, को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

Rajiv Prasad
 (राजीव प्रसाद)

संयुक्त निदेशक प्रशासन
 का0 निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।

सेवा में,

श्री बालकिशन, वर्ल्क,
 कार्यालय रा0व0मा0वि0 वी0के0 मानेसर, गुरुग्राम

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, पंचकुला:- 11-6-18

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-


1. जिला शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम।
2. प्रिंसीपल, रा0व0मा0वि0 वी0के0 मानेसर, गुरुग्राम
- ✓ 3. आई0टी0 सैल।

[Signature]

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
 कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय
 e-mail: edusecondary@hry.nic.in



आरोप सूची विरुद्ध श्री बालकिशन, क्लर्क, कार्यालय रा0व0मा0वि0 वी0के0 मानेसर, गुरुग्राम ।

श्री बालकिशन, क्लर्क ने वर्ष 2018 में कार्यालय रा0व0मा0वि0 वी0के0 मानेसर, गुरुग्राम में बतौर सहायक का कार्य करते हुए निम्नलिखित भूल चूक की है। जिसके लिए उन्हें निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है:-

1. यह है कि COCP No. 3242 of 2015 in CWP No. 4290 of 2014 Jai Kishan Khanduja Vs M.L. Kaushik & Others में श्री किशन चन्द सैनी को 38 महीनों की पेंशन के एरियर के दिये गए लाभ की रिकवरी करके, महालेखाकार हरियाणा, चण्डीगढ़ के कार्यालय से refile तथा पुनः निर्धारित करवाकर माननीय उच्च न्यायालय में सूचित किया जाना था। परन्तु आप द्वारा समय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिस कारण पूर्व निदेशक श्री एम0एल0 कौशिक (सेवानिवृत्त आई0ए0एस0) को निजि तौर पर कोर्ट में उपस्थित होना पडा, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है।

इस प्रकार श्री बालकिशन, क्लर्क ने उपरोक्त अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की उल्लंघना करते हुए हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली 2016 के नियम, 3 (1) (ii) तथा (iii) की उल्लंघना की है।

उपरोक्त अनियमितताएं करके श्री बालकिशन, क्लर्क, कार्यालय रा0व0मा0वि0 वी0के0 मानेसर, गुरुग्राम के गंभीर कदाचार को व्यक्त करती है। ऐसा करके उन्होंने हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 की धारा-8 के अन्तर्गत अपने आपको अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।


Rajiv Prasad
 (राजीव प्रसाद)

संयुक्त निदेशक प्रशासन
 का0 निदेशक सकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate of Secondary Education
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला 134109 (भारत) दूरभाष 91 (0172) 2560246 फैक्स 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,
 पानीपत।

यादी क्रमांक 4/93-2018 एच0आर0एम0ई0 (5)
 दिनांक, पंचकुला :-

विषय:- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को स्थानांतरण के आधार पर नई नियुक्ति देने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नई नियुक्ति स्थानांतरण आधार पर निम्नानुसार रिक्ति के विरुद्ध की जाती है। अन्य नियम व शर्तें कर्मचारी के प्रथम नियुक्ति पत्र के अनुसार ही रहेंगी तथा कर्मचारी की वरिष्ठता वर्तमान आदेश के अनुसार मानी जाएगी।

Sr. No.	Name & present posting Place	After Transfer new place of posting
1.	[099624] Salinder Kumar Class IV GMS Mehrana (Panipat) [5635]	[5037] BEO Israna (PNP)

- Sd/-

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0-।।
 कृते: निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक पंचकुला

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

12/6/18

- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी।
- सम्बन्धित हैडमास्टर/प्राचार्य। इस आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में करें।
- आई0टी0सैल को भेजकर लिखा जाता है कि उपरोक्त आदेश ई-नटरनेट पर डलवाए।
- सम्बन्धित कर्मचारी।
- सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेशों का इन्द्राज निदेशालय द्वारा संचालित MIS Portal पर तुरंत अपडेट करें तथा इसका इन्द्राज वरिष्ठता छोड़ने बारे सेवापजी में करें।
- कर्मचारी को उक्त स्थानांतरण की एवज में किसी प्रकार का वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- यदि कर्मचारी को आगे कार्यग्रहण करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो कर्मचारी अपने पूर्व के स्थान पर तुरंत कार्यग्रहण करेगा तथा इसका इन्द्राज अपने आहरण वितरण अधिकारी से MIS Portal पर अपडेट करवाएगा।
- कर्मचारी द्वारा दिये गये शपथ पत्र अनुसार कर्मचारी अपनी पूर्व की वरिष्ठता की मांग नहीं करेगा/करेगी।
- Data Entry Operator (concerned branch).

- Sd/-

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0-।।
 कृते: निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।



(TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE)
OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA
ORDER NO. 12/93-2018 ADMN. (2) DATED PANCHKULA, THE 01.06.2018

The following officers mentioned against their name and schemes are hereby nominated as Nodal Officer with immediate effect:-

Sr. No.	Name of Schemes	Nodal Officer is to be appointed	Contact No.
1.	Sanskrit Schools	Sh. Nand Kishore Verma, Assistant Director Academic	9416996177
2.	Aarohi Schools	Sh. Anil Sharma, Assistant Director	9915269945
3.	Legal Assistant' work monitoring	Dr. Kiran Mayee, Additional Director (Academic) (Already appointed)	9354161601
4.	Various Vidhan Sabha Committees Reports- timely submission to Haryana Vidhan Sabha- List thereof.	Sh. Joginder Singh Hooda, Deputy Director	9416401253
5.	Girl students' Transport facility scheme/policy w.e.f. 1.7.2018.	Sh. Kuldeep Mehta, Assistant Director	9417800493
6.	Conflict management counselors	Sh. Kuldeep Mehta, Assistant Director	9417800493
7.	Implementation of Model-II in DIETS/ BIETS	Sh. Anil Sharma, Assistant Director	9915269945
8.	CM's announcements i) Financial Progress ii) Construction Progress iii) Up-gradation of equipments & furniture iv) Up-gradation of schools v) any other	Sh. Joginder Singh Hooda, Deputy Director	9416401253
9.	MOUs with various NGOs- details of each	Sh. Parmod Kumar, Programme Officer	7837351581
10.	FFRC- Monitoring of submission of monthly report by each FFRC	Smt. Savitri Sihag, Deputy Director	9530803106
11.	Form-VI-monitoring mechanism	Smt. Savitri Sihag, Deputy Director	9530803106
12.	134-A cases	Smt. Savitri Sihag, Deputy Director	9530803106
13.	Use of unsued school buildings including those of erstwhile Kisan Model School Buildings	Sh. Nand Kishore Verma, Assistant Director Academic	9416996177

Note:- The work on above schemes will be in addition to their regular work & duties. Each Officer has to own/adopt one or more above mentioned schemes/policies etc. to make it a success. Monthly Review with the Nodal Officers will be done regularly by the W/ACSSE.


RAJIV RATTAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA

ENDST. NO. 1EVEN

DATED, PANCHKULA THE 12-6-2018

A copy is forwarded to the following for the information and necessary action:-

1. PS/ACSSE.
- ✓ 2. PS/DSE.
3. PA/DEE.
4. PA/Additional Director Admn.
5. PA/Additional Director (Academic).
6. PA/Joint Director Admn.
7. All Officers/Superintendents in the Directorate.
8. Concerned Officers.
9. IT Cell (HQ). For the purpose of uploading.


REGISTRAR EDUCATION
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA

Reminder
Date Bound/Court Case

From

Director Secondary Education, Haryana,
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

To

All District Education Officers
In the State

Memo No.6/33-2017 HRG-II(1)

Dated: Panchkula, the 12/6/18

Subject:- CWP No. 14088 of 2017 – Ramesh Kumar and others Vs State of Haryana and others.

.....

In reference to the Memo No. 6/33-2017 HRG-II(1) dated 5.12.2017 of this office on the subject cited above.

The Hon'ble Punjab and Haryana Court has passed the order dated 14.11.2017 in the above Writ Petition No.14088 of 2017 titled as Ramesh Kumar and others Vs State of Haryana and others. The copy of order dated 14.11.2017 is enclosed for further necessary action.

It is therefore, you are directed to sent the list of Headmasters, who desired to work in Mewat Cadre to this directorate by 17.06.2018 positively along with your recommendation. No application is entertained after 17.06.2018. Next date of hearing is fixed on 4.07.2018.

Treat it may urgent.

Sd/-
Superintendent HRG-II
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula

Endst. No.Even.

Dated: Panchkula, the 12/6/18

1. A copy is forwarded to S.HRG-I branch in reference to your U.O. No. 6/39-2017 HRG-I (2) dated 21.11.2017 for information and necessary action.
- ✓ 2. The Technology Officer, IT Cell (Local).

Ramesh Kumar
Superintendent HRG-II
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

269 + 283 CWP-14088-2017 & CWP-20980-2017
RAMESH KUMAR AND ORS
VS
STATE OF HARYANA AND ORS

Present: Mr. Mohammad Arshad, Advocate
for the petitioners.

Mr. R.K.S. Brar, Addl.A.G. Haryana.

The Director Secondary Education, Haryana, is present in Court pursuant to having been summoned vide the order dated 08.11.2017.

On a question put to him as to why, despite the proviso to Rule 3(2) of the Mewat District School Education (Group B) Service Rules, 2012, stipulating that members of State services mentioned in the said proviso would have a right to exercise option 'of district' within 3 months from the notification of the rule (seen to be notified on 11.04.2012), no options had been invited, he submits that he has no answer to the question.

He has further submitted that on 07.11.2017 a communication has been sent to all schools in Haryana asking the Principals / Headmasters concerned to obtain options from all teachers as to whether they wish to opt to be taken in the Mewat cadre and the specific districts therein, in terms of the aforesaid rule.

However he submits that no time frame has been given to obtain such options.

Consequently, it is directed that another communication be sent within 3 days of today by the Director, to all schools, that the employees who wish to exercise their option would do so within a period of 3 weeks from 07.11.2017. Thereafter, upon the options of all employees being received, the seniority list of the Mewat cadre, in each cadre of teachers shall be framed within two weeks (thereafter) and uploaded on the website of the Department, after which promotions shall be made in terms of the

aforesaid seniority list, after inviting objections from all concerned.

Till then operation of the impugned orders of promotion made in the Mewat cadre and all such orders passed, in the absence of options exercised by the employees, shall be treated to be promotions made on ad-hoc basis, being in contravention of the aforesaid rule.

Adjourned to 06.12.2017.

The Director shall file his affidavit by that date, giving therein the status of progress of framing of the seniority lists of the teaching cadres, in the Mewat cadre.

Though the answer given by the Director as to why no reply was filed by 08.11.2017 and he also did not remain present in Court pursuant to the previous order of this Court, is hardly acceptable, yet, he being present today, his apology is accepted.

A copy of this order be given to the learned State Counsel under signatures of the Bench Secretary of this Court.

A photo copy of this order be placed on the file of the other connected case.

(AMOL RATTAN SINGH)
JUDGE

November 14, 2017.

Davinder Kumar